न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीणा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 33/2022 राजस्व वाद

केला पुत्र श्री दोला कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
––– वादी

बनाम

1. अपेक्षा पुत्री श्री चैनसुख महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
2. कंचन देवी पुत्री श्री रोशन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
3. अल्पेश पुत्र चैनसुख महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
4. कान्ता देवी पुत्री श्री रोशन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
5. चन्दनबाला पुत्री श्री कन्हैया लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
6. तारा पुत्री श्री कन्हेया लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
7. नवरतन पुत्र श्री कन्हेया लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
8. निर्मला पुत्री श्री कन्हैया लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
9. प्राकश चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
10. पुष्पा देवी पुत्री श्री रोशन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
11. पुष्पा बाई पुत्री श्री मोहन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
12. पारसमल पुत्र श्री रोशन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
13. बाबू लाल पुत्र श्री रोशन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
14. श्रीमती लीला पत्नी श्री चैनसुख महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
15. विमला देवी पुत्री श्री रोशन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
16. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री कन्हैया लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
17. सरजू बाई पुत्री श्री मोहन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली
18. सुरेश कुमार पुत्र श्री कन्हेया लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
19. प्रेम बाई पुत्री श्री लक्ष्मी लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली हाल ए–38 आर्शीवाद रेजीडेन्सी अलवान सूरत (गुजरात)
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

––– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन, – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय– प्रतिवादीगण
2. पेरोकार सरकार – अधिवक्ता–प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:47 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय :: दिनांक– 28.02.2024

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 19 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 19 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)के खाता संख्या 143 एक सौ तियालीस मे आराजी नम्बर 2763 रकबा 0.3288 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2764 रकबा 0.1770 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2765 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3776/2764 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 673 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 674 रकबा 0.3288 हैक्टयर, आराजी नम्बर 675 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 683 रकबा 0.4426 हैक्टयर कुल किता 08 रकबा 1.9095 हैक्टयर मे वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

(1) खातेदार का नाम— केला पुत्र श्री दोला कुमावत साकिन बेमाली के नाम पर—

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	674/3	0.0337 हैक्टयर
2.	675/2	0.2803 हैक्टयर
योग	कुल किता 02	0.3140 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम— पारसमल , बाबू लाल पिता रोशन लाल , कंचन देवी , कान्ता देवी, पुष्पा देवी, विमला देवी पिता रोशन लाल 3/10, कल्पेश पुत्र श्री चैनसुख, अपेक्षा पुत्री चैनसुख, लीला पत्नी श्री चैनसुख 3/20, नवरतन , सुभाषचन्द्र, सुरेश कुमार पुत्र श्री कन्हेया लाल , चन्दन बाला , तारा निर्मला पुत्रीया कन्हैया लाल 3/50, प्रकाश चन्द्र पुत्र लक्ष्मी लाल 33/100, प्रेम बाई पुत्री लक्ष्मी लाल 3/50, पुष्पा बाई , सरजू बाई पुत्रीया मोहन लाल 1/10 महाजन साकिन बेमाली खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	673	0.1518 हैक्टयर
2.	674/1	0.2928 हैक्टयर
3.	683	0.4426 हैक्टयर
4.	2763	0[illegible] हैक्टयर
5.	2764	0.1770 हैक्टयर
6.	2765	0.0632 हैक्टयर
7.	3776/2764	0.113[illegible] हैक्टयर
योग	कुल किता 07	1.5700 हैक्टयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(3) खातेदार का नाम– खाता संख्या 143 मे अंकित नाम खातेदारान व खाते मे दर्ज हिस्से अनुसार

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
1	674/2	0.0023 हेक्टयर
2.	675/1	0.0232 हैक्टयर
योग	कुल किता 02	0.0255 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनमोहन मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:47 IST
Reason: SelfAttested